State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या SHSB/PM/263/2010
आदेश संख्या...8659... दिनांक..11.10.12

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 5636 दिनांक 09.07.2012 के द्वारा M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd., Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai को Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में व्यादेशित मात्रा में ससमय नहीं करने के कारण उनके सभी दो दर अनुबंध को रद्द कर काली सूची में दर्ज करते हुये तत्कालिक प्रभाव से अगले पाँच वर्षो तक फर्म को बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों/संस्थानों द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगा दी गयी थी एवं फर्म के बैंक गारंटी को जब्त कर लिया गया है। फर्म के काली सूची में दर्ज होने के कारण उनके दो दर अनुबंधित औषधियों यथा Anti Haemophillic Factor-VIII एवं Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle के दर अनुबंध को रद्द करने के फलस्वरूप उक्त दोनों औषधियों की आपूर्ति राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में बाधित है।

फर्म को काली सूची में डाले जाने के पर उक्त फर्म के पत्रांक शून्य दिनांक 12.7.12, 16.7.12 एवं 30.8.12 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि फर्म को काली सूची से हटा लिया जाये ताकि उनके द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति की जा सके। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के क्रयादेश ज्ञापांक 4762 दिनांक 29.03.2012 द्वारा 2100 भायल Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति करने का आदेश M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd. को दिया गया था। फर्म ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 30.7.2012 में AHF की आपूर्ति कई चरणों में मात्र 1369 भायल ही करने का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि फर्म चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को उनके माँग के अनुरूप व्यादेशित मात्रा में AHF की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

उक्त फर्म को पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में AHF की आपूर्ति व्यादेशित मात्रा में दर अनुबंध में निहित समयावधि के अंदर नहीं करने के कारण काली सूची में दर्ज किया गया है। फर्म की एक अन्य औषधि Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं है एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म द्वारा Human Albumin की आपूर्ति की जा रही थी, परन्तु फर्म को काली सूची में दर्ज होने के कारण फर्म द्वारा निर्मित दोनों औषधियों के दर अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। Human Albumin Infusion के लिए कोई L2 फर्म नहीं होने के कारण उक्त औषधि की आपूर्ति L2 फर्म से L1

क्योंकि हमारा बच्चा आपकी इच्छा!

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

दर पर नहीं लिया जा सकता है। फलस्वरूप Human Albumin Infusion की आपूर्ति भी राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में बाधित है। Human Albumin Infusion की आपूर्ति राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में बाधित होने के मद्देनजर फर्म के अभ्यावेदन को विचारार्थ संज्ञान में लिया गया।

उक्त फर्म के द्वारा आपूर्ति किये जा रहे Anti Haemophillic Factor-VIII एवं Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। फर्म को मात्र AHF की आपूर्ति ससमय व्यादेशित मात्रा में नहीं करने के कारण काली सूची में दर्ज किया गया है।

वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा Anti Haemophillic Factor-VIII एवं Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle का कोई दर अनुबंध प्रभावी नहीं है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों में Anti Haemophillic Factor-VIII के साथ Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle की अनुपलब्धता बनी हुयी है।

उक्त के आलोक में फर्म के अभ्यावेदन पर समीक्षा की गयी एवं सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थिति एवं राज्य हित में M/s Reliance Life Sciences Limited, Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai को काली सूची से हटाया यानी de-blacklist किया जाता है ताकि Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle की आपूर्ति स्वास्थ्य संस्थानों में किया जा सके। यह स्थापित हो चुका है कि फर्म के द्वारा Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति अधियाचित मात्रा में नहीं की जा सकती है। अतएव फर्म द्वारा निर्मित Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति बिहार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में करने के प्रयोजनार्थ फर्म को अगले पाँच वर्षो तक de-registered किया जाता है। बैंक गारंटी पूर्व आदेश के आलोक में जब्त किया जा चुका है। निदेश दिया जाता है कि Human Albumin की आपूर्ति एकरारनामा में निहित शर्तो के अनुसार एवं निर्धारित समयावधि के अंदर करना सुनिश्चित करें। Human Abumin की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार दस लाख की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में दिनांक 30.4.2013 तक की अनिवार्य वैद्यता के साथ दिनांक 19.10.2012 तक जमा करना सुनिश्चित करें।

R 11.10.2012 (हस्ताक्षर)
कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 8659 पटना, दिनांक 11.10.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

प्रतिलिपिः सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय, पटना/उपाधीक्षक, गार्डिनर रोड़ अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/सभी उपसमाहर्ता/अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/वित्त प्रबंधक/सभी सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट -कम- डाटा ऑफिसर, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश है कि उक्त आशय से जारी इस पत्र को समिति के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः M/s Reliance Life Sciences Limited, Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव, स्वास्थ्य